[राज्य सभा में 7 अप्रैल, 2017 को पुर:स्थापित रूप में]

2017 का विधेयक संख्यांक 9

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 है।

(*2*) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अनुच्छेद 83 का संशोधन।

2. संविधान के अनुच्छेद 83 में, खंड (2) में, विद्यमान परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह भी कि जब लोक सभा पांच वर्ष की उक्त अवधि से पहले भंग हो जाती है, इस प्रकार भंग होने के तत्काल पश्चात गठित सभा का कार्यकाल, निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए

गए इस आशय के प्रतिवेदन के आधार पर, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ करवाने के लिए दो वर्षों तक की अवधि के लिए बढ़ाया या कम किया जा सकता है।''

अनुच्छेद 172 का संशोधन।

3. (*i*) संविधान के अनुच्छेद 172 में, खंड (1) में, विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह भी कि जब विधान सभा पांच वर्ष की उक्त अवधि से पहले भंग हो जाती है, इस प्रकार भंग होने के तत्काल पश्चात गठित विधान सभा का कार्यकाल, निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए इस आशय के प्रतिवेदन के आधार पर, लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ करवाने के लिए दो वर्षों तक की अवधि के लिए बढ़ाया या कम किया जा सकता है।''

(*ii*) खंड 2 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

''(3) संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख से छह महीनों के भीतर, केन्द्रीय सरकार निर्वाचन आयोग के साथ विचार-विमर्श करके, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा ऐसी राज्य विधान सभाओं को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके कार्यकाल ऐसी विधान सभाओं के निर्वाचन लोक सभा के अगले निर्वाचनों के साथ करने के लिए बढ़ाया या कम किया जा सकता है।''

नये अनुच्छेद 326क का अंत:स्थापन।

4. संविधान के अनुच्छेद 326 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

''326क. लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभाओं के लिए निर्वाचन एक साथ किया जाएगा।''

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 81 करोड़ से अधिक लोग भारत निर्वाचन आयोग, जिसको लोक सभा और राज्य सभा विधान सभाओं दोनों के लिए निर्वाचन आयोजित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, के पास पात्र मतदाताओं के रूप में पंजीकृत हैं। यद्यपि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं का पांच वर्षों का एक नियत कार्यकाल होता है, तथापि उनके कार्यकाल एक साथ पूरे नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप, लोक सभा और राज्यों के भिन्न-भिन्न विधान सभाओं में अलग-अलग समय पर निर्वाचन होते हैं। इसके फलस्वरूप, हम प्राय: यह देखते हैं कि देश के किसी न किसी भाग में निर्वाचन होते रहते हैं।

हाल में, बार-बार निर्वाचनों के विचार को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। उनमें से पहला आधार यह है कि प्रशासनिक दृष्टि से निर्वाचन आयोजित करना एक विशाल प्रक्रिया है। संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र और सुरक्षा व्यवस्था को निर्वाचनों का सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए लामबंद किया जाता है। यदि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ हों, तो निर्वाचन प्रक्रिया के अनावश्यक दोहराव से बचा जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर निर्वाचन के संचालन पर सरकार और राजनैतिक दलों दोनों का भारी व्यय होता है। निर्वाचन आयोग के अनुमान के अनुसार, 2009 में लोक सभा निर्वाचन करवाने में 1115 करोड़ रुपए का सरकारी व्यय हुआ था, जो वर्ष 2014 में बढ़कर 3870 करोड़ रुपए हो गया। गैर-सरकारी अनुमानों की मानें तो वर्ष 2015 में हुए बिहार विधान सभा निर्वाचनों को आयोजित करने में 300 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। यदि राज्य विधान सभा के निर्वाचन लोक सभा निर्वाचनों के साथ करवाएं जाएं तो करदाताओं के बहुमूल्य धन को बचाया और विकासात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है।

तीसरी बात यह है कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि राजनैतिक दल भी चुनावों में भारी खर्च उठाते हैं। राजनैतिक दलों के बीच भ्रष्ट तत्व होते हैं जो काले धन का चुनावों में बेरोक-टोक प्रयोग करते हैं। वर्तमान सरकारी की कार्यसूची में यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि चुनावों में ऐसे काले धन की भूमिका को, समाप्त नहीं भी तो, न्यूनतम किया जाए। इस उद्देश्य के लिए, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ करवाने के दूरगामी परिणाम होंगे क्योंकि इससे काले धन के प्रयोग के कम अवसर मिलेंगे।

चौथी बात यह है कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण शासन की प्रक्रिया बुरी तरह से प्रभावित होती है। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के उनासीवें प्रतिवेदन (2015) से उद्धरण निम्न प्रकार है:—

''...आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के लागू होने से निर्वाचन के अधीन राज्य में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संपूर्ण विकास कार्यक्रम और क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं। बार-बार चुनाव होने से लम्बे समय तक आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। इससे प्राय: नीतिगत गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और शासन का अभाव हो जाता है।''

इसके अलावा, अनेक समस्याएं होती हैं जैसे सामान्य जनजीवन में रुकावट, सत्ताधारी दल द्वारा लोक-लुभावने उपाय अपनाया जाना आदि जो लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ निर्वाचन कराए जाने के पक्ष में बहुत मजबूत दलील हैं।

तथापि, एक ही समय निर्वाचन कराए जाने में कतिपय चुनौतियां भी हैं। इतनी विशाल प्रक्रिया की प्रचालनात्मक व्यवहार्यता पर प्रश्न उठाए जाते हैं। विशेष रूप से सबसे पहले लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल को समक्रमिक बनाना और वह भी तब जबकि एक लोकप्रिय सभा को समय से पहले भंग किया जाता है, एक बड़ी राजनैतिक चुनौती है।

उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, इस विधेयक का लक्ष्य संविधान में निम्नलिखित संशोधन करना है:—

i. लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक ही समय करवाने का उपबंध करने के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 326क जोड़ा जाना।

ii. यह उपबंध करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 का संशोधन करना कि यदि लोक सभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जाता है तो अगली लोक सभा के कार्यकाल को राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन और लोक सभा के निर्वाचन एक साथ कराने के लिए दो वर्षों तक बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

iii. यह उपबंध करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 172 का संशोधन करना कि यदि किसी राज्य की विधान सभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जाता है तो अगली विधान सभा के कार्यकाल को विधान सभा के निर्वाचन और लोक सभा के निर्वाचन एक साथ कराने के लिए दो वर्षों तक बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

iv. एक संक्रमणकालीन उपबंध बनाने के लिए कि विधेयक के आरंभ होने पर, केन्द्रीय सरकार लोक सभा के निर्वाचन और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ कराने के लिए, राज्य विधान सभाओं के कार्यकाल को बढ़ाने या घटाने के संबंध में निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श करके एक निर्णय लेगी।

इस विधेयक का उद्देश्य उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

नारायण लाल पंचारिया

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 4 में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक ही समय निर्वाचन करवाने का उपबंध है। विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर, इसमें भारत की संचित निधि से आवर्ती और अनावर्ती व्यय अंतर्ग्रस्त होगा। तथापि, इस समय इस पर होने वाले संभावित वास्तविक वित्तीय व्यय का आकलन करना संभव नहीं है।

उपाबंध

भारत के संविधान से उद्धरण

83. संसद् के सदनों की अवधि—(1) राज्य सभा का विघटन नहीं होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से यथा-संभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य, संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे।

(2) लोक सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तब बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोक सभा का विघटन होगा:

परन्तु उक्त अवधि को, जब आपात् की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब, संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् उसका विस्तार किसी भी दशा में छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।

* * *

172. राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि—(1) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा:

परंतु उक्त अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद् विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न हर जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।

(2) राज्य की विधान परिषद् का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे।

राज्य सभा

———

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

———

(श्री नारायण लाल पंचारिया, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—426RS(S-3)—10.04.2017.